



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 29.04.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 04 मामलों में कुल 04 अभियुक्तों को 15 हजार रुपए अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 04 मामलों में कुल 04 अभियुक्तों को कुल 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना तिंदवारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-181/24 धारा 60 आब0 अधिनियम के अभियुक्त गुलाब पुत्र इन्द्रपाल निवासी पिपरगवां थाना तिन्दवारी जनपद बांदा को 5000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना तिंदवारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-265/23 धारा 279/337/338/427 भादवि के अभियुक्त मोइनुद्दीन पुत्र जमीलुद्दीन निवासी काजीयाना थाना बिंदकी जनपद फतेहपुर को 4000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना तिंदवारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-98/23 धारा 60 आब0 अधिनियम के अभियुक्त हरीप्रसाद पुत्र दीपनारायण निवासी मुंगुस थाना तिन्दवारी जनपद बांदा को 5000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
4. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-594/04 धारा 379/511 भादवि के अभियुक्त रज्जू उर्फ राजेश पुत्र महादेव निवासी कस्बा व थाना बबेरु जनपद बांदा को 1000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।